

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2010/टेली/टीडब्ल्यू/1/डाटा नेटवर्क


नई दिल्ली, दिनांक: 12.09.2011

प्रबंध निदेशक,
कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉनकोर),
सेंटर फॉर रेलवे इन्फोर्मेशन सिस्टम्स (क्रिस),
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल),
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी),
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईआरएफसी),
कोकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केआरसीएल),
मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरवीसी),
रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल),
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (आरसीआईएल),
राइट्स लिमिटेड,
रेल लैंड डेवलेपमेंट ऑथोरिटी (आरएलडीए)।

विषय: विभिन्न रेलवे उपक्रमों/आरएलडीए/क्रिस आदि में रेलनेट प्रदान करने के संबंध में।

रेलनेट रेलों का इंटरप्राइज वाइड एरिया नेटवर्क है। यह नेटवर्क क्षेत्रीय रेलों, उत्पादन इकाइयों, अ.अ.मा.सं. एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज/बीआरसी में फैला हुआ है। रेलों द्वारा रेलनेट पर बहुत उपयोगी सूचना दी जाती है और रेलों के उपक्रमों/आरएलडीए/क्रिस आदि भी इस सूचना का उपयोग करते हैं। इसके अलावा भारतीय रेल एवं इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच बहुत अधिक सूचना का आदान-प्रदान होता है।

2. अतः यह विनिश्चय किया गया है कि रेलवे के उपक्रमों को रेलनेट उपलब्ध करवाना रेलों और इसके उपक्रमों/आरएलडीए/क्रिस आदि के लिए लाभकारी होगा।



3. अतः निम्नलिखित का विनिश्चय किया गया है:

(क) सभी रेलों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/आरएलडीए/क्रिस आदि को रेलनेट का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी।

(ख) आरसीआईएल इस कनेक्टिविटी को प्रदान करने के लिए नोडल एजेंसी होगी।

(ग) आरसीआईएल को इस कनेक्टिविटी को करने से पहले दूरसंचार निदेशालय से अनुमति लेनी होगी। इसके लिये IP एड्रेस दूरसंचार निदेशालय आर्बिट्रित करेगा।

(घ) इस कनेक्टिविटी को करने के लिए अपेक्षित सभी व्यय संबद्ध रेलवे उपक्रमों/आरएलडीए/क्रिस आदि द्वारा वहन किए जाएंगे।

4. कृपया पावती दें।

0/c

राकेश

(राकेश रंजन)

निदेशक/टेलीकॉम

फोन: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

कृपया जारी करें

राकेश
14/9/11